FORM-I
(for linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector
****

No. SML-SR (57)/2014 – 1419

Dated: 24/3/17

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 03-23-22 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of the Assistant Engineer, Jalog Sub-Division, HP PWD, Jalog District Shimla for Construction of link road from Domehar-Navi area (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Shimla-Rural in Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 03-23-22 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure____ to ____annexure______.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as requested under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encl: As above

(Rohan Chand Thakur)
Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMSSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 09-03-2017 at 4.00 P.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Village Navi, forest area(s) 03-23-22 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Shimla-Rural were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No. Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
	--Nil--	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No. Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
	--Nil--	

OR

As informed by SDO (Civil) Shimla-Rural, no application was received from Gram Sabha claiming right in 03-23-22 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 09-03-2017

Deputy Commissioner-Cum- Chairman

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMSSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 09-03-2017 at 4.00 P.M. at Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, claiming rights in Village Navi, forest area(s) 03-23-22 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Shimla-Rural were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right

--Nil--

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right

--Nil--

OR

As informed by SDO (Civil) Shimla-Rural, no application was received from Gram Sabha claiming right in 03-23-22 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 09-03-2017

Deputy Commissioner-Cum- Chairman

(Office of the Sub- Divisional Officer (Civil), Shimla (R) District Shimla (HP)

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right Act (FRA) 2006.

A Meeting of the Sub Divisional Committee of Shimla Rural Sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/of **Sh Gian Sagar Negi**,SDO (Civil) Shimla Rural on **02-03-2017 at 11-00 AM/PM** at Shimla (Place) in which the applications submitted by applicants/Department of **Assistant Engineer, Jalog Sub Division HPPWD Jalog** was discussed and recommended the same is to District Level Committee for approval.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level admitted:

S. No.	Name of Applicant	Name of forest	Detail of forest Right
1.	No Clame from anybody has been received	UPF Navi	Construction of road . Domehar Navi area . 03-23-22 Hect.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S. No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	-	-	-
2.			

OR

As informed by____________Gram Sabha on application was received claiming rights in ________________forest area.

Place: Shimla

Date: 02-03-2017

SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

Annexture

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा ~~गाँव~~ नावी

प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या (5)

दिनांक........

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा गाँव नावी की बैठक आज दिनांक 5-9-2016 को 11.45 AM बजे स्थान गाँव नावी मे श्री / श्रीमति रमेश शर्मा की अध्यक्षता मे की गई जिसमे नावी गांव की अनुसूचित जनजाति और अ परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत डुमैहर -नावी जंगल / वन क्षेत्र मे (जिसमें ....विभाग द्वारा.................. ** के निर्माण के लिए ....हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है।)वन अधिकारों के लि दावे हेतू प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई । वन अधिकारों के प्रस्ता के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चच के उपरान्त वन अधिकार समिति स द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क0सं0	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1			
2			

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतू ग्राम सभा से इसक सिफारिश करती है।

उपरोक्त मे से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया :-

क0सं0	*पात्र गांव वासी का नाम
1	
2	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

............जंगल / वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

सचिव (signature) वन अधिकार समिति गांव नावी ग्राम पंचायत डुमैहर, सुनी, जिला शिमला

स्थान........

दिनांक........

प्रधान (signature) ग्राम वन अधिकार समिति गांव नावी ग्राम पंचायत डुमैहर, सुनी, जिला शिमला

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता ग्राम सभा..............

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

(stamp) (signature)

Annexture-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा.................

प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.................. दिनांक..................

ग्राम सभा.................................की बैठक आज दिनांक ....को ....बजे स्थान....................मे श्री/ श्रीमति ....की अध्यक्षता मे की गई जिसमे ....गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत....................जंगल / वन क्षेत्र मे (जिसमे ....विभाग द्वारा..................** ....के निर्माण के लिए ....हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवदेनों पर चर्चा की गई । वन अधिकारों के के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया –

क0सं0	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1			
2			

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त मे से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया :–

क0सं0	*पात्र गांव वासी का नाम
1	
2	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार....................जंगल/वन क्षेत्र मे कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नही हुआ।

स्थान.......... सचिव वन अधिकार समिति ग्राम पंचायत दुमैहर, सुनी, जिला शिमला

दिनांक

प्रधान ग्राम वन अधिकार समिति ग्राम पंचायत दुमैहर, सुनी, जिला शिमला

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता ग्राम सभा..................

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होने इस वन क्षेत्र / जंगल मे वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

हस्ताक्षर..................

दिनांक..................

अनसचित ——

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) ...

Annexture-V

ग्राम सभा ग्राम ग्राम पंचायत डुमेहर
विकास खण्ड ननखड़ी/रामपुर जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक...............

गणपूर्ति 176 / 256 प्रस्ताव संख्या (5)

विषयः लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था को सम्पर्क सड़क डुमेहर से गाँव नावी के निर्माण हेतू U-20 डुमेहर जंगल/ वन क्षेत्र मे प्रस्तावित 03-23-22 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।

ग्राम सभा ग्राम पंचायत डुमेहर की बैठक आज दिनांक 2-10-2016 को 11 AM बजे, स्थान ग्राम पंचायत डुमेहर की गई, जिसमें PWD विभाग/संस्था को सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतू U-20 डुमेहर जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित .... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अनतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित .... हैक्टयर वन भूमि को सम्पर्क सड़क निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा ग्राम पंचायत डुमेहर की सहमति दी जाती है।

स्थान डुमेहर
दिनांक 2/10/16

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा...............

प्रधान ग्राम पंचायत डुमेहर, वि.ख. ननखड़ी/रामपुर, जिला शिमला

हस्ताक्षर [signature]
दिनांक:...............

Annexture

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा डुमैहर

प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या (07)

दिनांक..........

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा गाँव डुमैहर की बैठक आज दिनांक 7-9-2016 को 12.45 PM बजे स्थान गाँव डुमैहर मे श्री/ श्रीमति हेम दास पाल ....की अध्यक्षता मे की गई जिसमें डुमैहर ....गांव की अनुसूचित जनजाति और अ परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत.......... जंगल / वन क्षेत्र मे (जिसमे ....विभाग द्वारा.............. ** .... के निर्माण के लिए ....हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है।)वन अधिकारों के लि दावे हेतू प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई । वन अधिकारों के प्रस्ता के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति स द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गयाः–

क0सं0	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1			
2			

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतू ग्राम सभा से इसर्क सिफारिश करती है।

उपरोक्त मे से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया :–

क0सं0	*पात्र गांव वासी का नाम
1	
2	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

..............जंगल/ वन क्षेत्र मे कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नही हुआ।

स्थान सचिव वन अधिकार समिति
दिनांक गांव डुमैहर ग्राम पंचायत डुमैहर
त० सुनी, जिला शिमला

प्रधान
ग्राम वन अधिकार समिति अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
गांव डुमैहर ग्राम पंचायत डुमैहर सभा..........
त० सुनी, जिला शिमला

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होने इस वन क्षेत्र / जंगल मे वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

प्रधान ग्राम पंचायत डुमैहर, वि.ख. बसन्तपुर, जिला शिमला

Annexture-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परगत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा......डुमैहर.......

प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या (07).........

दिनांक..................

ग्राम सभा..........गाँव डुमैहर..........................की बैठक आज दिनांक 7-9-2016.........को 12.45 PM बजे स्थान गाँव डुमैहर.............में श्री/ श्रीमति हेम दास पाल..............की अध्यक्षता में की गई जिसमें ....डुमैहर......................................गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत...................................जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें ....विभाग द्वारा..........................** ....के निर्माण के लिए ....हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवदेनों पर चर्चा की गई । वन अधिकारों के के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:—

क0सं0	*पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का व्यौरा
1			
2			

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया :—

क0सं0	*पात्र गांव वासी का नाम
1	
2	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार...................................जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

सचिव
स्थान.................. **ग्राम वन अधिकार समिति**
दिनांक .... **गांव डुमैहर ग्राम पंचायत डुमैहर**
त० सुनी, जिला शिमला

प्रधान
ग्राम वन अधिकार समिति हस्ताक्षरकर्ता
गांव डुमैहर ग्राम पंचायत डुमैहर
त० सुनी, जिला शिमला

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट / कार्य का नाम जिसक लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

हस्ताक्षर.......................
दिनांक.......................

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधि...

Annexure-V

ग्राम सभा ग्राम पंचायत डुमेहर

विकास खण्ड बसन्तपुर जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

दिनांक..........

गणपूर्ति 176 / 256

प्रस्ताव संख्या (5)

विषयः लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था को सम्पर्क सड़क डुमेहर से गाँव जावी के निर्माण हेतू U-20 डुमेहर ....जंगल/ वन क्षेत्र मे प्रस्तावित .... हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।

ग्राम सभा ग्राम पंचायत डुमेहर की बैठक आज दिनांक 2-10-2016 को 11. AM बजे, स्थान पंचायत घर डुमेहर की गई , जिसमें PWD विभाग/संस्था को सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतू U-20 डुमेहर ....जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित ....हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अनतर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित ....हैक्टेयर वन भूमि को सम्पर्क सड़क निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा ग्राम पंचायत डुमेहर की सहमति दी जाती है।

स्थान..........

दिनांक ....

प्रधान ग्राम पंचायत डुमेहर वि.ख. बसन्तपुर, जिला शिमला

(अधोहस्ताक्षरकर्ता)

ग्राम सभा

हस्ताक्षर [signature]

दिनांक..........

वन अधिकार समिति
ग्राम डुलैहर डा० कदारक्वार त० सुनी
जिला शिमला हि० प्र०

प्रस्ताव संख्या: 7 — डुलैहर से नावी तक प्रस्तावित सड़क के निर्माण के संबन्ध में।

आज दिनाँक 02.05.19 को वन अधिकार समिति राजस्व गाँव डुलैहर की बैठक समिति प्रधान श्री हेम दास पाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। प्रस्ताव द्वारा सर्व सम्मति से पास किया गया कि ग्राम पंचायत डुलैहर के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा डुलैहर बस स्टैंड से नावी तक सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। तथा इसका निर्माण वन भूमि में होकर किया जाना है। जिसके लिए उक्त क्षेत्र की वन अधिकार समिति की मंजूरी लेना आवश्यक है। अतः बैठक के दौरान सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि इस सड़क में लगने वाली भूमि को लोक निर्माण विभाग के अधीन किया जाता है तो समिति को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। तथा सरकार से यह आग्रह किया जाता है कि इस सड़क का कार्य शीघ्र-अति शीघ्र शुरु किया जावे।

प्रस्ताव की प्रति प्रधान ग्राम पंचायत डुलैहर को सूचनार्थ एवम आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सचिव
वन अधिकार समिति
राजस्व गाँव डुलैहर

(हस्ताक्षर) 02/05/19
प्रधान
वन अधिकार समिति
राजस्व गाँव डुलैहर

समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर

1. श्री ओम प्रकाश — ओम प्रकाश
2. " नरेश कुमार — Naresh Kumar
3. " टेक चंद
4. श्रीमती यशोदा — यशोदा
5. श्रीमती गीता — गीता
6. श्री पूरन चंद — Puran Chand
7. " नीना राम — (हस्ताक्षर)

ग्राम वासी डुकैहर

1	अमर चन्द —	[illegible]
2	नरायण हिमराल	[illegible]
3	कृष्ण ठाकुर	[illegible]
4	देवीराम वर्मा	देवीराम
5	मानसिंह	मानसिंह
6	भूपेन्द्र सिंह —	भूपेन्द्र सिंह
7	देवराज पाल	देवराज पाल
8	प्रेम प्रकाश	[illegible]
9	कमला देवी	कमला देवी

नकल प्रस्ताव संख्या 2

आज दिनांक 22-05 2019 को भू राजस्व समिति नाली की बैठक प्रधान श्री रमेश शर्मा की अध्यक्षता मे बुलाई गई जिसमें सदस्य की संख्या 9/11 है।

प्रस्ताव डोमेहर से नाली सड़क निर्माण बारे अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे

बैठक मैं सभी सदस्य ने अपने विचार रखे तथा सड़क निर्माण बारे सहमति जताई तथा सड़क निर्माण करने के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने का समर्थन किया

ताकि वर्षो से चली आ रही समस्या का निदान हो सके अतः ग्राम भू राजस्व समिति नाली नाली (वन विशेषाधिकार समिति) सड़क निर्माण के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने का समर्थन करती है

तथा सड़क निर्माण के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने की सिफारिश करती है

अतः भू राजस्व समिति नाली (वन विशेषाधिकार समिति) द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है -

सचिव [signature]

प्रधान श्री रमेश शर्मा [signature]

भू राजस्व समिति नाली

सदस्य [signature]
सदस्य [signature]
सदस्य
सदस्य [signature]
सदस्य

सदस्य [signature]
सदस्य [signature]
सदस्य [signature]
सदस्य [signature]

कार्यालय ग्राम पंचायत डूमैहर

विकास खण्ड बसन्तपुर, तह0 सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

प्रधान
पुष्पा वर्मा
दूरभाष : 94592-16258

उप-प्रधान
देव राज वर्मा
दूरभाष : 94592-27901

क्रमांक GPD/2019 दिनांक 09-05-2019

अध्यक्ष = श्रीमती पुष्पा वर्मा
दिनांक = 23-09-2016
उपस्थिती = 7/7

प्रस्ताव सं० = 10 दिनांक -23-09-2016

विषय :- P.W.D सड़क बस स्टैण्ड डोमेहर से नावी चपवानी सड़क निर्माण को मुख्य मंत्री सड़क योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर करवाने बारे।

बैठक में प्रस्ताव वार्ड सदस्यो द्वारा चर्चा के लिए रखा गया और बताया गया कि उपरोक्त सड़क निर्माण जिसका नावी से चपवानी तक वन विभाग की भूमि काफी मात्रा में है तथा इस भूमि पर वन विभाग ~~की भूमि काफी~~ सड़क निर्माण हेतु आपत्ति कर रहा है जिस कारण कि यह सड़क निर्माण बस स्टैण्ड डोमेहर से नावी तक लग-भग 5 कि० मी० का कार्य करवाया जाना है शीघ्र अति शीघ्र जरूरी है।

अतः ध्वनि मत से निर्णय लिया गया कि इस बारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय हि० प्र० एवं स्थानीय विधायक को लिखा जावे और अनुरोध किया जावे कि बस स्टैण्ड डोमेहर से नावी तक सड़क निर्माण शीघ्र अति शीघ्र करवाया जावे तथा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव की प्रतिलिपि अधिशांसी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग मण्डल धामी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

प्रधान [signature] R Thakur सचिव
ग्राम पंचायत डुमैहर
वि०ख० बसन्तपुर, शिमला, हि०प्र०

कार्यालय ग्राम पंचायत ....डोमैहर....

तह. ....सुन्नी.... जिला ....शिमला.... (हि.प्र.)

आज दिनांक 18/08/2018 को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत डोमैहर की मासिक/विशेष बैठक प्रधान/उप-प्रधान श्री श्रीमती पुष्पा वर्मा जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उपस्थिति पूर्ण 79/350 रही तथा निम्न कार्यवाही अमल में लाई गई।

B&R Sub Division
Dy No. 240
28/9/18
JABOG

प्रस्ताव नं. 24 प्रतिलिपि दिनांक 25-08-2018

सम्पर्क सड़क डोमैहर से नाली के निर्माण कार्य शुरु करने व वन विभाग के लिए अनापत्ति बारे:-

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में बैठक में प्रस्ताव चर्चा के लिए लाया गया तथा खेद प्रकट किया गया कि उपरोक्त सड़क निर्माण के लिए स्थानीय लोगों द्वारा Giftdeed देने के उपरान्त भी कार्य शुरु नहीं हो सका है। ऐसे में ग्राम सभा ने पुरजोर मांग की कि उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरु किया जावे। उपरोक्त सड़क के निर्माण में आने वाली वन भूमि के लिए पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। अतः सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि PWD विभाग यथाशीघ्र कार्य शुरु करने की कृपा करें। प्रस्ताव प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मूल प्रति मूल रूप से कार्यवाही के रजिस्टर के अनुसार सही व दुरुस्त है।

N.N. Shorma to report

26-9-18

SECY 29/8/2018

GRAM PANCHAYAT DUMEHAR
DEV. BLOCK BASANTPUR, SHIMLA, H.P.

प्रधान श्री रमेश शर्मा

कार्यालय
भू राजस्व समिति
नावी

आज दिनांक 25 जून 2018 को भू राजस्व समिति नावी (वन विशेषाधिकार समिति) की बैठक प्रधान श्री रमेश शर्मा की अध्यक्षता बुलाई गई जिसमे निम्न प्रस्ताव पारित किया गया

प्रस्ताव संख्या 2 डोमेहर से नावी तक सम्पर्क सड़क निर्माण बारे अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे

बैठक मे सभी सदस्यो चर्चा भाग लिया तथा निर्णय लिया की डोमेहर से नावी सड़क का कार्य अति जरूरी है सड़क के कार्य शुरु न होने से लोगो को कठिनाई का सामना करना पड रहा है अतः सड़क निर्माण का कार्य अति आवश्यक है अतः भू राजस्व समिति नावी वन विशेषाधिकार समिति अनापति प्रमाण पत्र जारी करती है और भू राजस्व समिति को सड़क निर्माण के कार्य मे कोई आपति नही तथा समिति अनापति प्रमाण पत्र जारी करती है। तथा सड़क निर्माण कार्य की सिफारिश करती है

सचिव
[signature]

[signature]
प्रधान

वन अधिकार समिति
ग्राम डुमैहर डा॰ अनाश्वार ता॰ सुन्नी
जिला शिमला (हि॰ प्र॰)

प्रस्ताव संख्या - 6 डुमैहर से नावी तक प्रस्तावित सड़क के निर्माण के संबंध में।

आज दिनांक 01.9.2018 को वन अधिकार समिति राजस्व ग्राम डुमैहर महाल डुमैहर की बैठक समिति प्रधान श्री हेम दास पाल की अध्यक्षता में हुई।

प्रस्ताव द्वारा पास किया गया कि ग्राम पंचायत डुमैहर के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा डुमैहर से नावी तक सड़क का निर्माण होना प्रस्तावित है तथा इसका निर्माण वन भूमी से होकर किया जाना है। अतः सर्व सम्मती से यह निर्णय लिया गया कि यदि इस सड़क में लगने वाली भूमी को लोक निर्माण विभाग के अधीन किया जाता है तो समिति को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। तथा यह आग्रह किया जाता है कि उक्त सड़क का निर्माण शीघ्र - अति शीघ्र किया जावे। अतः इस संबन्ध में समिति द्वारा "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जाता है।

प्रस्ताव की प्रति प्रधान ग्राम पंचायत डुमैहर को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

[signature] 01/09/18
प्रधान
वन अधिकार समिति
राजस्व गाँव डुमैहर